उत्तर प्रदेश शासन,
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–1
संख्याः–160 / छिहत्तर–1–2020–2स्वजल / 2011
लखनऊः दिनाँक 22 जनवरी, 2020

2900
25/01/2020

कार्यालय ज्ञाप

भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत जारी दिशा–निर्देशों के क्रम में प्रदेश में ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु तत्कालीन ग्राम्य विकास अनुभाग–5 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1161 / अड़तीस–5–12–02 स्वजल 2011, दिनांक 12.10.2012 द्वारा 'राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन' का गठन किया गया था। सम्प्रति पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 'जल जीवन मिशन' कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। इस हेतु जारी दिशा–निर्देश के अनुसार प्रदेश में ग्रामीण पाइप पेयजल कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 12.10.2012 को संशोधित करते हुए मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में 'राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की एपेक्स कमेटी (शीर्ष समिति)' का एतद्द्वारा गठन किया जाता है :–

1.	मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।	अध्यक्ष
2.	अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, ग्राम्य विकास विभाग।	सदस्य
3.	अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, पंचायती राज विभाग।	सदस्य
4.	अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग।	सदस्य
5.	अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, स्वास्थ्य विभाग।	सदस्य
6.	अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, वित्त विभाग।	सदस्य
7.	अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, नियोजन विभाग।	सदस्य
8.	अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग।	सदस्य
9	भारत सरकार का एक प्रतिनिधि।	सदस्य
10.	तीन विशेषज्ञ / प्रतिष्ठित व्यक्ति, जो अध्यक्ष के अनुमोदन से निम्नलिखित क्षेत्र के नामित होंगेः– • ग्रामीण जलापूर्ति • लोक सेवा • प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन • सामुदायिक विकास	सदस्य
11.	अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग	सदस्य सचिव

2– "जल जीवन मिशन" के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुसार उपरोक्तानुसार गठित एपेक्स कमेटी के कार्य एवं दायित्व निम्नानुसार होंगे :–

(1) नीतिगत मार्ग निर्देश देना तथा समग्र नियोजन, रणनीति तथा प्रदेश में "जल जीवन मिशन" के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी।

(2) वर्ष 2024 तक प्रदेश के समस्त ग्रामीण परिवारों को एफ0एच0टी0सी0 प्रदान करने के लिए राज्य कार्य योजना (एस0ए0पी0) को अंतिम रूप देने के लिए उत्तरदायी।

(3) ग्रामीण परिवारों को एफ0एच0टी0सी0 प्रदान करने हेतु शुल्क तय करना।

(4) जल सेवा के मानक तय करना।

25/01/2020

D:\2026\UO-2020.docx

(5) विभाग /राष्ट्रीय मिशन से चर्चा उपरान्त राज्य कार्य योजना (एस0ए0पी0) का अप्रेजल और सैद्धांतिक अनुमोदन करना।

(6) वित्तीय नियोजन के लिए उत्तरदायी, जिसमें फंड का ससमय उपयोग तथा फंड की पार्किंग न किया जाना सम्मिलित हो, को सुनिश्चित करना।

(7) कन्वेंजेन्स हेतु विभिन्न विभागों और अन्य एजेंसियों के मध्य समन्वय के लिए उत्तरदायी।

(8) गांव के बुनियादी ढांचे के प्रबंधन के लिए ग्राम पंचायत /उप--समिति को सशक्त करने वाली शक्तियों को प्रदत्त किये जाने हेतु उत्तरदायी।

(9) इंट्रा--डिस्ट्रिक्ट तथा इन--विलेज इन्फ्रास्ट्रक्चर वाटर सप्लाई स्कीमों की प्रशासनिक स्वीकृति के लिए जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को शक्तियाँ प्रदत्त करना।

(10) एकल नोडल खाते के संचालन की प्रक्रिया निर्धारित करना।

(11) जल के दुरूपयोग को रोकने के साथ--साथ बल्क वाटर, वितरण प्रणाली और घरेलू स्तर की आपूर्ति पर आवर्ती व्यय को कम किये जाने के उद्देश्य से उपयुक्त प्रोत्साहन/ हतोत्साहन प्रविधि विकसित किया जाना।

(12) भूजल के विभिन्न उपयोगों हेतु नीति निर्धारण करना।

(13) वार्षिक पुनर्भरणीय भूगर्भ जल के विविध उपयोगों के संबंध में एक समान नीति लागू करना।

(14) जल के आवंटन हेतु उत्तरदायी।

(15) फील्ड टेस्ट किट द्वारा जल की गुणवत्ता परीक्षण व निगरानी सुनिश्चित किये जाने हेतु समर्पित मानव संसाधन आबद्ध किये जाने हेतु नीति निर्धारण।

(16) विभिन्न प्रकार के अनुबंधों, विशेष रूप से दंडात्मक प्रावधानों वाले अनुबन्धों, हेतु ToR को अंतिम रूप देना।

(17) योजनाओं के वित्तीय स्थायित्व हेतु संचालन एवं अनुरक्षण रणनीति तथा मासिक टैरिफ/ यूजर चार्जेज निर्धारित करना।

(18) सपोर्ट फण्ड से आई.ई.सी. /बी.सी.सी. गतिविधियों हेतु धनराशि मात्राकृत किये जाने हेतु नीति निर्धारण।

(19) जल/राजस्व की निरन्तर हानि रोकने हेतु अनाधिकृत/ अनमीटर्ड/ अनकाउंटेड जल संयोजनों पर कार्रवाई हेतु निर्णय।

अनुराग श्रीवास्तव
प्रमुख सचिव

संख्या-- 160 (1)/छिहत्तर--1--2020--2स्वजल/2011, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित:--

(1) प्रधान निजी सचिव, मा0 जल शक्ति मंत्री जी उत्तर प्रदेश।
(2) निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
(4) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव वित्त/नियोजन/ पंचायतीराज/बेसिक शिक्षा विभाग/स्वास्थ्य विभाग/सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(7) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(8) प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
(9) अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
(10) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(11) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 अम्बरीष कुमार सिंह)
अनु सचिव

D:\3030UO-2020.docx